दिनांक 27.01.2015 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल जिला विकास भवन, रोहतक में श्रीमति रेणु डाबला मेयर नगर निगम, रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की सामान्य बैठक में लिये गये निर्णय।

1. श्री राजबीर, सदस्य वार्ड नं0-1, नगर निगम, रोहतक।
2. श्रीमती सुशीला इंदौरा, सदस्य वार्ड नं0-3, नगर निगम, रोहतक।
3. श्री सूरजमल रोज, सदस्य वार्ड नं0 5, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमती मंजू, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
5. श्रीमती सरिता, सदस्य वार्ड नं0-7, नगर निगम, रोहतक।
6. श्रीमती उपासना देवी, सदस्य वार्ड नं0-8, नगर निगम, रोहतक।
7. श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9, नगर निगम, रोहतक।
8. श्रीमती अनिता मिगलानी, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
9. श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
11. श्रीमती नीरा, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
12. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
14. श्रीमती लक्ष्मी, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम दिनांक 23.12.2014 को हुई बैठक की कार्रवाई व उस पर सम्बन्धित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। सभी सदस्यों द्वारा इसकी पुष्टि करते हुये निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

क्र. स.	मद संख्या	एजेण्डा	निर्णय
1	I	पार्षदों को टोल प्लाजा में छूट देने बारें।	इन कार्यो के लिए मेयर महोद्रय द्वारा बताया गया कि मेयर कार्यालय द्वारा दिनांक 25.12.2014 व 21.1.2015 को इस बारे सरकार को पत्र लिखा जा चुका है। आगामी कार्रवाई सरकार से निर्णय उपरांत की जायेगी जिसके लिए प्रयास जारी है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य पार्षदों से भी सहयोग लिया जायेगा। **(मेयर महोद्र्या)**
	II	पार्षदों को हरियाणा सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समकक्ष मैडिकल सुविधा देने बारें।	
	III	नगर निगम के अन्दर आने वाले निगम पार्षद के कार्यकाल में जनहित के कार्य के दौरान यदि कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसका खर्चा नगर निगम, रोहतक द्वारा वहन किया जायेगा।	
2		सभी वार्डो में बाकी वाटर कूलर लगाने बारें।	अधिकतर वाटर कूलर लगा दिये गये है। बाकी कूलर दिनांक 31.01.2015 तक लगा दिये जायेगे। **(कार्यकारी अभियंता-। & II)**
3		नगर निगम द्वारा लगाये गये झूलों की गुणवत्ता बारें।	पार्को में नये लगाये जाने वाले झूलों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-। & II)**
4		नगर निगम की राशि से अन्य विभागों द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्यो की गुणवत्ता जॉच हेतु।	दिनांक 20.01.2015 को सैम्पल लेने हेतु टीम नही पहुँचने के कारण सैम्पलिंग नही हो सकी इसलिए दिनांक 10.02.2015 तक सैम्पलिंग करवाने के निर्देश दिये गयें। **(कार्यकारी अभियंता-। & II)**
5		राजीव आवास योजना के तहत खेड़ी सांध, पहरावर व बलियाणा गॉव के कुछ पात्रों को लाभ न मिलने बारें।	निगम अभियंता श्री जगदीशचन्द्र ने बताया कि इस बारे सर्वे जारी है जो कि एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जायेगा तथा किसी भी लाभपात्र को छोड़ा नही जायेगा। **(नगर अभियंता)**

6		रिंग बाध की रिपेयर व स्ट्रीट लाईट लगवाने बारें।	यह कार्य राजीव आवास योजना के तहत किया जाना है जिसमें सीवर ट्रीटमैन्ट प्लाट लगाया जाना है जिसके लिए रिंग बाध के नीचे पहले सीवर लाईन डाली जानी है। परन्तु स्थानीय निवासियों द्वारा अवैध कब्जे के कारण उस कार्य में गतिरोध है। इस पर पार्षद ने अनुरोध किया है कि इस प्रोजेक्ट की राशि को गॉव की गलियों व खुला नाला बनवाने के लिए प्रयोग किया जायें। विस्तृत विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया है कि संयुक्त आयुक्त महोद्य की अध्यक्षता में निगम अभियंता व जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित दिनांक 29.01.2015 को मौके का निरीक्षण उपरांत उचित प्रस्तावना दी जायेगी जिसकी आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु रखा जायेगा। **(कार्यकारी अभियंता-।)**
7	I	मॉडल टाऊन बारात घर में अवैध कब्जा हटवाने बारें।	इस बारे दो नोटिस दिये जा चुके है। अंतिम नोटिस जारी करने उपरांत कोई एतराज प्राप्त न होने पर बारातघर की मलकियत अपने अधीन लेने की कार्रवाई करने के निर्देश दिये गयें। **(भू-अधिकारी)**
	II	श्रीराम ट्रस्ट की सम्पत्ति बारें।	इस कार्य के लिए पूर्व गठित समिति की बैठक दिनांक 10.02.2015 तक करने व नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गयें। **(भू-अधिकारी)**
8		वार्ड 20 में स्टेडियम बनवाने बारें।	जनस्वाथ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग व कस्लटैण्ट एजेन्सी से विचार विमर्श उपरांत पाया कि इस जोहड के स्थान पर स्टेडियम बनवाना संभव नही है जिस पर 1.75 करोड़ रू0 व्यय का अनुमान है। जब तक सीवरेज व्यवस्था व बरसाती पानी निकासी का उचित प्रबंध नही होता तब तक इस जोहड़ का आधा भाग स्टेडियम में तबदील करने का औचित्य नही है। सीवर कार्य राजीव आवास योजना के तहत किया जायेगा इस प्रोजैक्ट बारे विस्तृत रिपोर्ट कार्यकारी अभियंता-।। द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये जिसे आगामी बैठक में रखा जायें। **(कार्यकारी अभियंता-।।)**
9		भवन प्लान स्वीकृत करने बारें।	इस विषय पर गठित समिति द्वारा दिनांक 02.01.2015 को की गई बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार भवन शाखा द्वारा नक्शे पास करने की कार्रवाई की जा रही है। गठित कमेटी के सदस्यों के अनुरोध पर कमेटी भंग करने तथा भवन शाखा द्वारा नगर निगम अधिनियम व बिल्डिंग-बाईलाज के प्रावधानों अनुसार ही नक्शें पास करने का निर्णय लिया गया। **(सहायक नगर योजनाकार)**
10		नगर निगम क्षेत्र में सभी कालोनियों में मकान नम्बर की प्लेट लगवाने बारें।	इस मद पर होने वाले अनुमानित व्यय 45.25 लाख रू0 और नगर निगम की वित्तिय स्थिति को ध्यान में रखते हुये इस कार्य को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। वरिष्ठ लेखा अधिकारी को नगर निगम द्वारा करवाये जाने वाले कार्य लम्बित भुगतान, देनदारियां उपलब्ध वित्त संसाधनों व फिक्स डिपोजिट सहित नगर निगम की सम्पूर्ण वित्तिय स्थिति बारे रिपोर्ट 7 दिन के अन्दर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गयें। **(वरिष्ठ लेखा अधिकारी)**
11		नगर निगम सीमा के गऊशाला स्थापित करने बारे।	इस कार्य के लिए गठित समिति द्वारा नगर निगम गुडगॉवा द्वारा संचालित गऊशाला का मुआयना किया गया। कमेटी द्वारा मुआयना रिपोर्ट प्रस्तावना सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इस कार्य पर होने वाले व्यय, उपियोगिता एवं रख-रखाव व्यवस्था बारे विस्तृत विचार विमर्श उपरांत उपलब्ध स्थान की दीवार करवाने का निर्णय लिया गया। **(कार्यकारी अभियंता-।।)**
12		नगर निगम क्षेत्र में स्थित सामुदायिक केन्द्रों का रख-रखाव एवं प्रबंध बारें।	कार्यकारी अभियंता-। से नगर निगम क्षेत्र में स्थित 96 सामुदायिक केन्द्रों की लिस्ट प्राप्त हो चुकी है। कार्यकारी अभियंता-।। से लिस्ट प्राप्त होने उपरांत आगामी बैठक में प्रत्येक सामुदायिक केन्द्र के प्रबंध के लिए स्थानीय पार्षद की अधिकता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया जाएगा। **(कार्यकारी अभियंता-।।)**
13		स्ट्रीट लाईट खरीदने बारें।	इस बारे बताया गया कि स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए टैण्डर आमंत्रित किये जा चुके है। परन्तु केवल एक टैण्डर प्राप्त है जिसे निर्णय के लिए रखा गया है। इस पर निर्णय लिया गया है कि एक मात्र टैण्डर पर खरीद निर्णय नही लिया जा सकता। अतः स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए पुनः टैण्डर आमंत्रित कर शीघ्र निर्णय उपरांत स्ट्रीट लाईट खरीद प्रबंध करने के निर्देश दिये गए **(अधीक्षक अभियंता)**

14		नगर निगम में आऊट सोर्स आधार पर रखे गये कर्मचारियों एवं सफाई कर्मचारियों की संख्या ड्यूटी स्थान व प्रमाण पत्रों की जॉच बारें।	इस कार्य के लिए गठित समिति द्वारा रिपोर्ट दे दी गई है जिस पर आगामी कार्रवाई की जा रही हैं। **(कार्यालय अधीक्षक)**

उपरोक्त विषयों पर विचार-विमर्श एवं निर्णय उपरांत सभी उपस्थित पार्षदों ने बताया कि दिनांक 23.12.2014 के बैठक में लिये गये निर्णयों पर नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट बैठक प्रारंभ होने से पूर्व दिनांक 27.01.2015 को ही प्राप्त हुई है जिसके अध्ययन उपरांत ही विचार-विमर्श एवं निर्णय लिया जाना उचित होगा। अतः उपस्थित सभी पार्षदों द्वारा सहमति दी गई कि बाकी मदों पर रिपोर्ट के अध्ययन उपरांत कोई आपत्ति यदि है तो दिनांक 31.01.2015 तक सूचित कर दी जायेगी।

उपरोक्त मदों पर विचार-विमर्श एवं निर्णय उपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित विषय बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किये गयें:-

क्र.स.	एजेण्डा	निर्णय
1.	राजीव आवास योजना के अर्न्तगत 100 वर्गगज के नीचे प्लाट व मकानों का नक्शा पास करना।	राजीव आवास योजना के तहत प्लाटों व मकानों के नक्शों के नगर निगम अधिनियम व बिल्डिंग बाईलाज अनुसार पास करने का निर्णय लिया गया। **(सहायक नगर योजनाकार)**
2.	विकास शुल्क कलैक्टर रेट के आधार पर वसूल करने बारें।	वर्तमान प्रावधान अनुसार विकास शुल्क रिहायशी एवं व्यवसायिक निर्धारित दरों पर लिया जा रहा है। पार्षदों ने अनुरोध किया कि विकास शुल्क प्रत्येक कालोनी के कलैक्टर रेट पर आधारित होने चाहियें। अतः इस प्रस्तावना को सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया। **(सहायक नगर योजनाकार)**
3.	घनीपुरा रिहायशी कालोनी के कुछ भाग पर चल रही व्यवसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्र को व्यवसायी घोषित करने बारें।	घनीपुरा रिहायशी कालोनी के कुछ भाग पर पिछले 20 सालों से चल रही व्यवसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्र को व्यवसायिक क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया। **(सहायक नगर योजनाकार)**
4.	जीन्द बाईपास चौक से माता दरवाजा तक सड़क को व्यवसायी घोषित करना।	सहायक नगर योजनाकर शाखा को वास्तविक स्थिति की जानकारी उपरांत उचित कार्रवाई के निर्देश दिये गयें। **(सहायक नगर योजनाकार)**
5.	अतिक्रमण हटाओं दस्ते का गठन करने बारें।	सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, फुटपाथ, निगम भूमि व निगम सम्पत्ति से अतिक्रमण हटवाने के लिए हर वार्ड के लिए एक-2 अधिकारी को सौपा जाना है। उस वार्ड से सभी तरह के अतिक्रमण हटवाने की जिम्मेवारी उसी अधिकारी की होगी। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस संरक्षण व सम्बन्धित पार्षद को सूचना उपरांत निरंतर तुरंत कार्रवाई करने तथा संयुक्त आयुक्त को सूचित करने के निर्देश दिये गयें। **(कार्यालय अधीक्षक)**
6.	ट्री गार्ड उपलब्ध करवाने बारें।	सभी पार्षदों की मांग अनुसार 15 ट्री गार्ड प्रति वार्ड उपलब्ध करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई। **(अधीक्षक अभियंता)**
7.	अधीक्षक अभियंता के स्थान पर कार्यकारी अभियंता-।।। व खाली पदों पर कर्मचारी उपलब्ध करना।	अधिक्षक अभियंता के स्थान पर कार्यकारी अभियंता-।।।, की प्रस्तावना सरकार को भिजवाना व रिक्त स्थानों को भरने के लिए आयुक्त महोद्य को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। **(कार्यालय अधीक्षक)**
8.	महावीर पार्क में श्रीमहावीर जैन लाईब्रेरी के संचालन के लिए मैमोरण्डम ऑफ अण्डरटेकिंग बारे।	महावीर पार्क में श्री महावीर जैन लाईब्रेरी के संचालन के लिए सोसाईटी व नगर निगम के बीच मैमोरण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिंग की शर्तो का अध्ययन करने की आवश्यकता है। लाईब्रेरी के बोर्ड पर सभी पार्षदों के नाम लिखवाने सम्बन्धि मामलें को भी निर्धारित करने के निर्देश दिये गयें। **(भू-अधिकारी/विधि सहायक)**
9.	नगर पार्षदों के अधिकार एवं शक्तियों की जानकारी बारें।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा सभी पार्षदों की बैठक बुलाकर उनके अधिकार एवं शक्तियों बारे अवगत करवाने का निर्णय लिया गया। **(कार्यकारी अधिकारी)**

10.	पार्को में चल रहे समबर्सिबल टयूबलों पर इलैक्ट्रिक मीटर लगवाने बारें।	निगम अभियंता ने बताया कि पार्को में लगे समबमर्सिबल टयूबल के लिए प्रयोग की जानी वाली विद्युत के लिए मीटर लगवाने के आदेश प्राप्त हुये है। नगर अभियंता को इस मद पर होने वाले व्यय का अनुमान दिनांक 06.02.2015 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गयें। **(नगर अभियंता)**
11.	उचित पार्किग व्यवस्था न होने के कारण सड़क से वाहन न उठाने बारें।	इस समस्या को दूर करने के लिए पुलिस अधीक्षक व अन्य सम्बन्धित विभाग से सबंध स्थापित कर उचित पार्किग व्यवस्था करने की प्रक्रिया जारी है।
12.	अप्पूघर स्थान का सोन्दर्यकरण बारें।	इस स्थल के सोन्दर्यकरण एवं नवीनकरण कार्य के लिए प्रस्तुती एवं अनुमान प्राप्त किया गया है जिस पर लगभग 6:00 करोड़ रू0 व्यय का अनुमान है। अनुमानित व्यय को ध्यान में रखते हुये इस प्रोजैक्ट पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया गया। **(अधीक्षक अभियंता)**
13.	50 प्रतिशत रोड़ लाईट को रात के समय बन्द रखना।	रोड़ लाईट की आवश्यकता तथा विद्युत बिल को ध्यान में रखते हुये रात के समय एक छोड़कर एक रोड़ लाईट को बन्द रखने की स्वीकृति दी गई जिसमें विद्युत की बचत होगी। **(अधीक्षक अभियंता)**
14.	पार्को में बैठने के लिए बैन्च उपलब्ध करवाने बारें।	सभी पार्षदों द्वारा अपने वार्ड में पार्को के लिए बैन्चों की आवश्यकता देने उपरांत आगामी कार्रवाई की जायेगी। **(अधीक्षक अभियंता)**
15.	गॉधी कैम्प कालोनी में टाटा एस कूड़ा उठाने वाली गाड़ी का प्रबंध।	गॉधी कैम्प कालोनी से कूड़ा उठाने के लिए टाटा एस कूड़ा उठाने वाली गाड़ी का एक चक्कर लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई। **(मुख्य सफाई निरीक्षक)**

इसके उपरांत मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों व अधिकारियों का धन्यवाद करते हुये बैठक समाप्ति की घोषणा की।

दिनांक

मेयर, 13/02/15
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/NT/2015/295-299 दिनांक 13/2/15

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
2. श्री शादीलाल बत्तरा, सासद राज्यसभा सदस्य।
3. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सॉपला किलोई।
4. श्री मनीष ग्रोवर, विधानसभा सदस्य, रोहतक।
5. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।

मेयर, 13/02/15
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/NT/2015/300-305 दिनांक 13/2/15

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. उपायुक्त, रोहतक।
4. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
5. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
6. निजी सहायक आयुक्त, आयुक्त नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।

मेयर, 13/02/15
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/NT/2015/306-307 दिनांक 13/2/2015

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि अपने से सम्बन्धित कार्य को निश्चित समयावधि में करवाकर 15 दिन के अन्दर-2 बिन्दुवार पालना रिपोर्ट नगर निगम, रोहतक के कार्यालय में भिजवाये ताकि सदन की आगामी बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकें।

1. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
2. सभी सम्बन्धित अधिकारी, नगर निगम, रोहतक।

मेयर, 13/02/15
नगर निगम, रोहतक।